

2.6 शैक्षिक अर्हता:—

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा बारहवीं कक्षा की अर्हता या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है।

टिप्पणी:—

- (i) आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण-पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए (Appeared) अथवा सम्मिलित होने वाले (Appearing) अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।
- (ii) आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

2.7 अधिमानी अर्हतायें:—

अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को प्रस्तर-3.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जायेगी—

- i. डीओईएसीसी (DOEACC/NIELIT) सोसायटी से कम्प्यूटर में "ओ" स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या
- ii. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- iii. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

नोट:— एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।

2.8 आयु:—

विज्ञापित पदों की नियमावलियां (यथा संशोधित) के अनुसार भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि:—

- (1) पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 2003 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए।
- (2) महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 2000 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए।

परन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों (केवल उ0प्र0 के मूल निवासी) के लिए अधिकतम आयु

सीमा में छूट एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी।

2.9 इस सम्बन्ध में सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा छूट की स्थिति निम्नवत होगी:-

श्रेणीवार अधिकतम आयु सीमा तथा आयु सीमा में छूट तालिका

क्र०सं०	श्रेणी	पुरुष (आयु)		महिला (आयु)	
		कब से	कब तक	कब से	कब तक
1	सामान्य श्रेणी / ईडब्लूएस	2/7/2003	1/7/2007	2/7/2000	1/7/2007
2	अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।	2/7/1998	1/7/2007	2/7/1995	1/7/2007
3	अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।	2/7/1998	1/7/2007	2/7/1995	1/7/2007
4	अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।	2/7/1998	1/7/2007	2/7/1995	1/7/2007
5	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।	2/7/1998	1/7/2007	2/7/1995	1/7/2007
6	उ०प्र० राज्य के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, अधिकतम आयु हेतु 3 वर्ष की छूट अनुमन्य है	भूतपूर्व सैनिकों की आयु, सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए	वास्तविक आयु-सेवा अवधि= परिणामी आयु (परिणामी आयु दिनांक 01.07.2025 को 25 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो)	वास्तविक आयु-सेवा अवधि= परिणामी आयु (परिणामी आयु दिनांक 01.07.2025 को 28 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो)	